



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar- 332001
rorpcb.sikar@gmail.com



E-mail

RPCB/RO/SIKAR/NGT/OA/64-2025/1213

Date: 08.08.2025

The Registrar,
Hon'ble NGT,
Central Zone Bench, Bhopal.
E-mail: ngtczbbho-mp@gov.in

Sub: Mauka Report in O.A. No. 64/2025 (CZ) in the matter of Devidas Khatri Vs State of Rajasthan & Ors.

Ref: Hon'ble NGT order dated 22.05.2025.

Sir,

With reference to above subject matter, please find enclosed Report of Mauka report Constituted in O.A. No. 64/2025 (CZ) in the matter of Devidas Khatri Vs State of Rajasthan & Ors., for kind perusal please.

Encl: As above

Your Sincerely

Savita

Regional Officer
RSPCB, Sikar

मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ.ए. संख्या 64/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट आफ राजस्थान ओर अन्य के आदेश दिनांक 22.05.2025 की अनुपालना में गठित कमेटी के द्वारा खनन क्षेत्र ग्राम रेला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में संचालित खनन पट्टा संख्या 764/2009 का निरीक्षण दिनांक 25.06.2025 को किया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ.ए. संख्या 64/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट आफ राजस्थान ओर अन्य के आदेश दिनांक 22.05.2025 के द्वारा जिला कलक्टर, नीमकाथाना के प्रतिनिधि एवं सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राजस्थान के प्रतिनिधि की संयुक्त कमेटी गठित कर मौके की वर्तमान स्थिति (Factual report) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसके अन्तर्गत कमेटी गठन एवं संयुक्त निरीक्षण करने हेतु संबंधित विभागों को दिनांक 06.06.2025 एवं दिनांक 19.06.2025 को पत्र लिखे गये। निरीक्षण के दौरान श्री भागीरथ सांख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना, श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर, श्री प्रमोद कुमार बलवदा, सहायक खनिज अभियंता, खान एव भू -विज्ञान विभाग, सीकर, श्री दिनेश शर्मा, प्रभारी भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, सीकर, श्री बनवारी लाल सैनी, सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड नीमकाथाना विभाग, सीकर, श्रीमती अनिता, ACF, वन विभाग, नीमकाथाना, सीकर, श्री सुभाष कुल्हरी, तहसीलदार पाटन, तहसील नीमकाथाना मौजूद रहे। खान सुरक्षा, महानिदेशालय, अजमेर, (Region-2) को गठित कमेटी के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 06.06.2025, 19.06.2025 एवं 24.06.2025 को पत्र लिखा गया, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहे।

ग्राम रेला में कुल 22 खनन पट्टे आवंटित हैं जिनमें 3 खनन पट्टे खण्डित है तथा 19 खनन पट्टे संचालित है। 16 खनन पट्टो (एक खनन पट्टा खण्डित 2017 से, 3 खनन पट्टे बन्द है ओर 12 खनन पट्टे चालू है) पर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ.ए. संख्या 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल में विचाराधीन है तथा सभी खनन पट्टे खनन क्लस्टर के रूप में आवंटित है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखा गया की किसी भी दो खनन पट्टो के बीच में सीमांकन नहीं है। सभी खनन पट्टे एक कॉमन पिट में कार्यरत है (फोटो संलग्न)। निरीक्षण के दौरान रेला खनन क्षेत्र के किसी भी खनन पट्टे में खनन कार्य चालू नहीं होने के कारण मौके पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकी। मौके पर खनन कार्य बंद होने के कारण खनन के दौरान पानी का छिडकाव किया जाता है या नहीं, सत्यापित नहीं किया जा सका। मौके पर वृक्षारोपण नहीं किया हुआ पाया गया, परन्तु सभी लीजधारक जिनके खनन पट्टा संख्या 756/2009, 761/2009, 384/2010, 387/2010, 773/2009, 768/2009, 620/2003, 621/2003, 769/2009, 705/2010, 388/2010, 764/2009, 58/2010, 57/2010 ओर 707/2010 ग्राम रेला में स्थित है को सघन वृक्षारोपण हेतु कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) पाटन, जिला सीकर के द्वारा ग्राम पाटन में खसरा नं० 1601/756, 755/8, 1605/785 एवं 615/4 भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करवाई गई है। इस भूमि पर उपरोक्त खनन पट्टा प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से 2500 नये पौधे लगाये गये हैं (फोटो संलग्न)। रेला में स्थित खनन पट्टाधारियों द्वारा पूर्व में भी नीमकाथाना माईनिंग एंड केशर वेलफेयर सेवा समिति के साथ (जिला कलक्टर, सीकर के द्वारा ग्राम गणेश्वर में उपलब्ध करवाई गई 60 हैक्टेयर भूमि पर) गत वर्षों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। ओ. ए. संख्या 64/2025(CZ) में संदर्भित खनन पट्टा संख्या 764/2009 के द्वारा समय-समय पर वृक्षारोपण एवं रख - रखाव के खर्चों में सहयोग किया जाता है (प्रति सालगन)।


शिकायतकर्ता को ई-मेल एवं दुरभाष पर संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थित होने बाबत सूचना दी गई थी (प्रति संलग्न) तथापि शिकायतकर्ता/विधिक प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रही।

मौका निरीक्षण एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार खनन पट्टा संख्या 764/2009 की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है-


खनन पट्टा संख्या 764/2009 खनिज- चेजा पत्थर, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, निकट ग्राम रेला, तहसील- पाटन, जिला सीकर में श्री देवकीनन्दन पुजारी पुत्र श्री गोपाल पुजारी के नाम के पक्ष में कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सीकर के आदेश दिनांक 16.09.2010 के द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत हुआ तथा खनन पट्टा अवधि दिनांक 06.10.2010 से 05.10.2060 तक प्रभाव में है। कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है।

पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 को प्राप्त की गई थी व वर्तमान में SEIAA के द्वारा दिनांक 22.02.2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 07.04.2023 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा- पत्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को पत्र दिनांक 28.06.2025 से निर्देशित किया गया है की खनन पट्टों में माईन्स मैनेजर की न्युक्ति के अभाव में खनन संक्रियाएँ न हो सके। अन्तिम खनना जारी होने की दिनांक 13.06.2025 है। खनन पट्टे के चालू पिट (Working pit) की गहराई के संबंध में सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर की रिपोर्ट में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

कार्यालय प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भु जल विभाग, सीकर के द्वारा पाटन ब्लॉक को Over Exploited बताया गया है तथा ग्राम-रेला के सार्वजनिक जल स्रोत की गहराई 21.5 मीटर बताई गई है। खनन पिट जल स्रोत को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, यह इस बारे में स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की अनुपालना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। खनन पट्टा संख्या 764/2009 की प्रथम संचालन सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर, के द्वारा दिनांक 22.10.2010 को जारी की गई तथा अन्तिम संचालन सम्मति उत्पादन क्षमता 97000 टन प्रतिवर्ष के लिए 31.08.2029 तक वैध थी। मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.08.2023 के अनुसार 5 हेक्टेयर से कम खनन क्षेत्र वाले खनन पट्टों का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जाता है (प्रति संलग्न)। खनन पट्टा संख्या 764/2009 के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के द्वारा इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।



[Handwritten signatures and initials in blue ink]





ADM NIST

Himal

Sanin

Anti

Devita



g
 ADM NKT

HABIB
 AMENKT

SAVIN
 AEN, WAD
 NKT

Andi
 ARUNKT)

Dewita
 RO, RSPCB



राप्रनिम / क्षे.का.सीकर / सामान्य-310 / 672

दिनांक : 24-06-25

श्रीमान रविन्दर कंदाकटला,
खान सुरक्षा निदेशक,
अजमेर क्षेत्र-02, अजमेर।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- (1) माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 21.05.2025, 22.05.2025 एवं 28.05.2025।

(2) आपका पत्र क्रमांक 1307 दिनांक 20.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के परित आदेश में स्पष्ट विदित है कि शिकायत के मूल बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रकरण में वर्णित स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट (Factual Report) एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्राप्त मूल शिकायत में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर सम्बन्धित विभाग उपवन संरक्षक, सीकर, खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर, भू-जल वैज्ञानिक प्रभारी, भू-जल विभाग, सीकर, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सीकर खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर क्षेत्र-02, अजमेर की संयुक्त निरीक्षण हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना के निर्देशानुसार कमेटी गठित की गई है।

चूंकि शिकायत "Uncontrolled blasting without permission, use of heavy earth moving machine etc." से सम्बन्धित है। इसी बाबत गठित कमेटी में आपके विभाग को नामित किया गया है। अतः आपसे अपेक्षित है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल के द्वारा चाही गई वस्तु स्थिति की रिपोर्ट में सम्बन्धित बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए निर्धारित दिनांक 25.06.2025 प्रातः 09:00 बजे, कार्यालय तहसीलदार, पाटन, जिला सीकर में उपस्थिति देकर गठित कमेटी का सहयोग करें।

Signature valid

भवदीय
Digitally signed by S. S. S. S.
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2025.06.24:35:26 IST (सविता)
Reason: Approved क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, सीकर





Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



Regd. Post

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/आर.टी.आई/ 648-653

दिनांक : 19-06-25

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. उपवन संरक्षक,
सीकर।
3. खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर।
4. भू-जल वैज्ञानिक प्रभारी,
भू-जल विभाग, सीकर।
5. अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सीकर।
6. खान सुरक्षा, महानिदेशालय,
अजमेर (Region-2)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के सम्बन्ध में।

- संदर्भ :- (1) माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 21.05.2025, 22.05.2025 एवं 28.05.2025।
(2) कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर पत्र क्रमांक राजकाज रेफ नम्बर 15902524 दिनांक 13.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025

Signature valid



Digitally signed by Seta
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2025.06.19 15:13:35 IST
Reason: Approved



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



(CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के सम्बन्ध में दिनांक 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 21.05.2025, 22.05.2025 एवं 28.05.2025 को आदेश पारित किया है। जिसके क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर के पत्र दिनांक 13.06.2025 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर के साथ समन्वय स्थापित कर गठित कमेटी का संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 25.06.2025 समय सुबह 09:00 बजे, तहसीलदार कार्यालय, पाटन जिला सीकर में उपस्थित होना सुनिश्चित किया है।

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) (प्रति संलग्न) के सम्बन्ध में आपके विभाग से सम्बन्धित सूचना के साथ उपस्थित होने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, सीकर

प्रतिलिपि :- प्रभारी अधिकारी (लीगल शाखा), रा.प्र.नि.म., जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

Signature valid

Digitally signed by Saviya
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2025.06.25:13:35 IST
Reason: Approved



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001



No. RSPCB/RO-Sikar/Legal/Gen- 300 / 544 - 551

Date: 06/06/25

1. District Collector,
Sikar.
2. District Forest Officer,
Forest Department, Sikar
3. Mining Engineer,
Department of Mines & Geology,
Sikar
4. Ground Water Scientist in Charge,
Ground Water Department, Sikar
5. Executive Engineer (Exn.)
Water Resource Department,
Sikar.
6. Directorate General of Mines Safety (DGMS),
Ajmer (Region-2)

Sub:- Regarding joint inspection in the matter of NGT Original Application No. 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ) & 66/2025 (CZ), Devidas Khatri V/s State of Rajasthan & Ors.

Ref:- NGT Order dated 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 21.05.2025 & 22.05.2025.

Sir,

With reference to above, in the matter of Devidas Khatri V/s State of Rajasthan & Ors (O.A. No. 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ) & 66/2025 (CZ)), vide order dated 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 21.05.2025 & 22.05.2025, NGT has constituted a joint committee comprising of;

1. One representative from Collector/District Magistrate Neem Ka Thana, Sikar (Rajasthan)
2. One representative from Rajasthan State Pollution Control Board (Rajasthan)

As per complaint received by NGT, it is alleged that ML. NO. 384/2010, 387/2010, 761/2009, 756/2009, 773/2009, 768/2009, 758/2009, 621/2003, 620/2003, 388/2010, 764/2009, 58/2010 & 57/2010 Village – Rela, Tehsil – Neem Ka Thana operating mining leases as a part of cluster wherein heavy illegal mining activities, operating in haphazard manner and in violation of Environment norm, mining pits intersected the ground water table, uncontrolled blasting without permission & use of heavy earth moving machine.

NGT has directed that;

“..... directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks...”

In this regard, District Forest Officer, WRD Department, DGMS Ajmer, Mining Engineer & Ground Water Authority shall be part of the committee as per complaint received so that inspection can be carried out in a comprehensive manner for the factual position of the area under reference. Joint inspection date shall be informed shortly after approval from District Collector, Sikar. Copy of complaint and order is attached with this letter for your reference.

Yours Sincerely

Encl:- As above.

Copy to :-

1. GIC (Legal Cell), RSPCB, Head Office, Jaipur.
2. Master File



Signature valid

(Savita)

Digitally signed by S. Regional Officer
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2025.06.06 13:57:09 IST
Reason: Approved

Regional Officer



RO RSPCB Sikar <rorpcb.sikar@gmail.com>

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेंट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ओरिजन एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान एंड अदर्स के सम्बन्ध में

1 message

RO RSPCB Sikar <rorpcb.sikar@gmail.com>
To: swasti2611@gmail.com

Mon, Jun 23, 2025 at 6:30 PM

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेंट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ओरिजन एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान एंड अदर्स के सम्बन्ध में प्रेषित की गई शिकायत की जाँच हेतु संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक 25.06.2025 को सुबह 10:00 बजे को खनन एरिया ग्राम रैला तहसील नीम का थाना जिला सीकर में की जाएगी। अतः आप दिनांक 25.06.2025 को सुबह 09:00 बजे कार्यालय तहसीलदार, पाटन अथवा सुबह 10:00 बजे शिकायत स्थल खनन एरिया ग्राम रैला तहसील नीम का थाना जिला सीकर पर उपस्थित होकर मौखिक/लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं।

With Regards & Thanks

Regional Officer
Regional Office Sikar



राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) पाटन जिला-सीकर

क्रमांक:- भू0अ0/2025/1173

दिनांक:- 3/7/25

अनापत्ति प्रमाण पत्र

लीज धारक ग्राम रेला तहसील पाटन ने कार्यालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण हेतु लगभग 05 हजार वृक्षारोपण बाबत सरकारी भूमि उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है जिसके संबंध में राजस्व ग्राम पाटन के भूमि खसरा नम्बर 1601/755 रकबा 2.1738 है0 किस्म चारागाह, 755/8 रकबा 0.3628 है0 किस्म चारागाह भूमि, 1605/785 रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह व 615/4 रकबा 0.42 है0 किस्म चारागाह का मौका निरिक्षण किया गया उक्त भूमि मौके पर खाली है व पेड लगाने हेतु उपयुक्त है

उक्त भूमि पर लीज धारक रेला तहसील पाटन को पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(५)
तहसीलदार
तहसीलदार (भू-अ) पाटन
जिला सीकर

Email ID :- tdrpattan@gmail.com

रैला माइंस की अनूठी पहल: तहसील कार्यालय परिसर में लगाए 5 हजार पौधे, हरियाली बढ़ाने का लिया संकल्प

सच मीडिया

पाटन। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए रैला क्षेत्र की खदानों के मालिकों ने कस्बे के तहसील कार्यालय परिसर एवं आसपास की सरकारी भूमि पर 5 हजार पौधे रोपित किए। इस हरित पहल की शुरुआत शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम के साथ की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी राजवीर यादव, तहसीलदार सुभाष चंद्र, नायब तहसीलदार भोमसिंह, विकास अधिकारी शशिबाला व सहायक खनि अभियंता प्रमोद बलवदा ने बरगद का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रैला माइंस प्रतिनिधि



महेन्द्र खटाणा ने जानकारी दी कि पौधारोपण केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि पूर्ण संरक्षण के संकल्प के

साथ किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पौधों की देखरेख एवं सिंचाई की जिम्मेदारी रैला माइंस

जेन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, और सभी खदान मालिक मिलकर इन पौधों को संरक्षित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया गया। अधिकारीगण और जनप्रतिनिधियों ने खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों की इस सामूहिक पहल की सराहना की और इसे एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान सुवालाल सैनी, सरपंच मनोज चौधरी, केदार सैनी, दिलीप गोयल, श्रीधर अग्रवाल, सिद्धार्थ गर्ग, सतीश शर्मा, धूखराम, रूपसिंह, हनुमान प्रसाद गुर्जर, सहोराम रावत, अमरसिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।



























रैला साईन्स जोन
सभी लीज धारकों की तरफ से वृक्षारोपण

लीज न.

ML-705/10 ML-758/09 ML-621/03
ML-769/09 ML-773/09 ML-384/10
ML-764/09 ML-768/09 ML-387/10
ML-706/10 ML-57/10 ML-388/10
ML-756/09 ML-58/10 ML-254/10
ML-761/09 ML-620/03 ML-253/10
ML-766/09

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना

दूरभाष व फ़ैक्स:01574-231810

E-mail:- ame.neemkathana@rajasthan.gov.in

क्रमांक:सखअ/नीम/अप्र/रैला/एन.जी.टी./468

दिनांक 01.07.2025

प्रेषित:-

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज.)।

विषय:-कार्यालय क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्र रैला में धृत खनन पट्टों के संबंध में श्री देवीदास खत्री के द्वारा एन.जी.टी. भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओ.ए. संख्या-55/2025, 56/2025, 57/2025, 59/2025, 62/2025, 63/2025, 64/2025, 65/2025, 66/2025 व 73/2025 के संबंध में प्रकरणवार खनन पट्टों की वस्तुस्थिति रिपोर्ट/कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री देवीदास खत्री द्वारा ORIGINAL APPLICATION कार्यालय क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्र रैला में धृत खनन पट्टों के संबंध में एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन बैंच भोपाल के समक्ष दायर की गई है, जिसमें इस कार्यालय के अतिरिक्त श्रीमान् का कार्यालय भी रेसपोन्डेंट है, अतः प्रकरण से संबंध रखने वाले खनन पट्टों की अलग-अलग वस्तुस्थिति रिपोर्ट/कार्यवाही विवरण प्रकरण में आगामी कार्यवाही के वास्ते निम्नानुसार है:-

❖ ORIGINAL APPLICATION 55/2025 (खनन पट्टा संख्या-384/2010 व 387/2010) :-

खनन पट्टा संख्या-384/2010:-

खनन पट्टा संख्या-384/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर (राज.) में श्री रवि खुराना पुत्र श्री धर्मवीर खुराना निवासी-सी-103, सैली विक्ट्री होम पालम विहार गुडगांवा तहसील व जिला गुडगांवा (हरियाणा) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-384/2010/8162 दिनांक 10.11.2010 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 19.05.2011 को व पंजीयन दिनांक 09.06.2011 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स रजि. पता-201, ईकाई हाईट मर्यादा नगर बुहाना उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा का हस्तान्तरण अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक अखअ/जय/नीम/प.1/2018/5011 दिनांक 28.02.2018 से स्वीकृत किया गया, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का पंजीयन दिनांक 01.08.2018 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा अवधि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 04.04.2018 को हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 09.06.2011 से 08.06.2061 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन प्राया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 2999.97 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 904993/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

खनन पट्टे से लगते गैप क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने के संबंध में भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा ऑडिट आक्षेप एएमजी-III/समीक्षा खान/2020-21/ज्ञापन सं.-11 गठित किया गया। ऑडिट आक्षेप पर कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 से खनन पट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से लगते हुये गैप एरिया में पट्टाधारी द्वारा खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन का अवैध खनन/अनाधिकृत निर्गमन किया गया। अतः खनन पट्टा संख्या-384/2010 के पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन

कर अनाधिकृत निर्गमित खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै. की प्रचलित रॉयल्टी दर 44/- प्रति टन से खनिज की कीमत (रॉयल्टी राशि का 10 गुना) राशि रू. 15,93,993/- एवं कम्पाउण्ड फीस राशि रू. 20,000/- इस प्रकार कुल राशि रू. 16,13,993/- (अक्षरे-राशि रूपये सोलह लाख तेरह हजार नो सो तिरानवें मात्र) की मांग कायमी कार्यालय आदेशांक 1877-1884 दिनांक 14.07.2023 की गई। कायमी मांग राशि पट्टाधारी द्वारा जमा नहीं कराये जाने से उक्त खनन पट्टे को खण्डित किये जाने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर को प्रस्ताव दिनांक 28.06.2025 से प्रेषित किये जा चुके हैं, बाद खनन पट्टा खण्डित के बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत की जावेगी।

मौका पंचनामा दिनांक 16.11.2022 के पश्चात् खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र का मौका निरीक्षण दिनांक 24.01.2024 को किया जाने पर खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनिज चेजापत्थर मात्रा 120407.75 टन का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसकी शास्ती राशि रू. 52999410/- (मय कम्पाउण्ड फीस रू. 20,000/-) दिनांक 25.04.2024 से की जा चुकी है, मांग आदेश पट्टाधारी को वितरित नहीं होने से उक्त मांग आदेश को खनन पट्टा क्षेत्र पर चस्पा किये जाने हेतु दिनांक 27.06.2025 से कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को लिखा गया है। उक्तानुसार प्रकरण में वसूली हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है। खनन पट्टे में अवैध खनन की शास्ती राशि बकाया होने से वर्तमान में खनन पट्टे के ई-रवन्ना जनरेशन बन्द है।

खनन पट्टा संख्या-387/2010:-

खनन पट्टा संख्या-387/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी-प्लॉट नं. 191, कचहरी रोड, पुलिस थाने के पास हनुमानगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ (राज.) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-387/2010/5423 दिनांक 16.09.2010 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 28.09.2010 को व पंजीयन दिनांक 14.10.2010 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स रजि. पता-201, ईकाई हाईट मर्यादा नगर बुहाना उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा का हस्तान्तरण अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक अखअ/जय/नीम/प.1/2018/1343 दिनांक 09.07.2018 से स्वीकृत किया गया, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का पंजीयन दिनांक 28.11.2018 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा अवधि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 03.08.2018 को हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 14.10.2010 से 13.10.2060 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रू. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 4647.19 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रू. 1399140/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

खनन पट्टे से लगते गैप क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने के संबंध में भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा ऑडिट आक्षेप एएमजी-III/समीक्षा खान/2020-21/ज्ञापन सं.-11 गठित किया गया। ऑडिट आक्षेप पर कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 से खनन पट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से लगते हुये गैप एरिया में पट्टाधारी द्वारा खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन का अवैध खनन/अनाधिकृत निर्गमन किया गया। अतः खनन पट्टा संख्या-387/2010 के पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमित खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै. की प्रचलित रॉयल्टी दर 44/- प्रति टन से खनिज की कीमत (रॉयल्टी राशि का 10 गुना) राशि रू. 15,93,993/- एवं कम्पाउण्ड फीस राशि रू. 20,000/- इस प्रकार कुल राशि रू. 16,13,993/- (अक्षरे-राशि रूपये सोलह लाख तेरह हजार नो सो तिरानवें मात्र) की मांग कायमी कार्यालय आदेशांक 185-1892 दिनांक 14.07.2023 की गई। कायमी मांग राशि पट्टाधारी द्वारा जमा नहीं कराये जाने से उक्त खनन पट्टे को खण्डित किये जाने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर को प्रस्ताव दिनांक 28.06.2025 से प्रेषित किये जा चुके हैं, बाद खनन पट्टा खण्डित के बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत की जावेगी।



खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र का मौका निरीक्षण दिनांक 24.01.2024 को किया जाने पर खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनिज चेजापत्थर मात्रा 16150 टन का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसकी शास्ती राशि रु. 7126000/- (मय कम्पाउण्ड फीस रु. 20,000/-) दिनांक 25.04.2024 से की जा चुकी है, मांग आदेश पट्टाधारी को वितरित नहीं होने से उक्त मांग आदेश को खनन पट्टा क्षेत्र पर चस्था किये जाने हेतु दिनांक 28.06.2025 से कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को लिखा गया है। उक्तानुसार प्रकरण में वसूली हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है। खनन पट्टों में अवैध खनन की शास्ती राशि बकाया होने से वर्तमान में खनन पट्टों के ई-रवन्ना जनरेशन बन्द है।

❖ ORIGINAL APPLICATION 55/2025 (खनन पट्टा संख्या-773/2009, 768/2009 व 758/2009)
खनन पट्टा संख्या-773/2009:-

खनन पट्टा संख्या-773/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकट ग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-773/2009/5402 दिनांक 16.09.2010 से श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री हरे कृष्णा निवासी-राजभोग हाऊस, स्टेशन रोड़ डेहरी ऑनसोन (डालमिया नगर) जिला-रोहतास (बिहार) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 28.09.2010 तथा पंजीयन दिनांक 01.10.2010 को होकर खनन पट्टा अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री रमेश पायला पुत्र श्री बालाराम पायला निवासी-मौहल्ला बड़ावास वार्ड नं. 24, कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 15.09.2017 को प्रस्तुत किया जाने पर अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक अखअ/जय/नीम/प.1/2017/4101 दिनांक 27.10.2017 से हस्तान्तरण स्वीकृति जारी की गई, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 09.01.2018 को व पंजीयन दिनांक 16.01.2018 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री रमेश पायला के पक्ष में प्रभाव में आया। आर.एम.एम.सी.आर.-2017. के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 01.12.2022 को होकर खनन पट्टा अवधि दिनांक 01.10.2010 से 30.09.2060 तक प्रभाव में आ गया है। वर्तमान में खनन पट्टों का स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्री रमेश पायला द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा घासीपुरा सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2022 से किया जाने पर खनन पट्टा हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक सखअ/नीम/अप्र/खप-773/2009/587 दिनांक 22.11.2022 से अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर को पठाये गये, जिस पर उनके आदेशांक अखअ/जय/नीम/प-1/2022 /3567 दिनांक 05.12.2022 से हस्तान्तरण स्वीकृति श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन के पक्ष में जारी की गई। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 22.12.2022 को व पंजीयन दिनांक 03.01.2023 को होकर खनन पट्टा हस्तान्तरण पंजीयन तिथि से शेष अवधि हेतु श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा घासीपुरा सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टों में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है, खनन पट्टों में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 02.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 16.08.2023 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 30.09.2028 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 27.08.2020 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 05.11.2024 से जारी की गई है, जो 04.11.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएँ की जा रही है।

खनन पट्टा संख्या-768/2009:-

खनन पट्टा संख्या-768/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्री अरुण शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी-53/183, सरयू मार्ग मानसरोवर जयपुर जिला-जयपुर (राज.) के पक्ष में खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक



खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-768/2009/5409 दिनांक 16.09.2010 से अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 28.09.2010 को हुआ तथा संविदा पंजीयन दिनांक 01.10.2010 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री हनुमान गुर्जर पुत्र श्री नत्थूराम निवासी-वार्ड नं. 11, उदयसिंहपुरा घासीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा का हस्तान्तरण अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक अखअ/जय/नीम/प.1/2017/4595 दिनांक 12.01.2018 से श्री हनुमान गुर्जर पुत्र श्री नत्थूराम के पक्ष में स्वीकृत हुआ, जिसकी हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 12.04.2018 को व पंजीयन दिनांक 02.05.2018 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री हनुमान गुर्जर पुत्र श्री नत्थूराम निवासी-वार्ड नं. 11, उदयसिंहपुरा घासीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम-9(2) के अनुसार खनन पट्टा की मूल अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिस पर अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 28.03.2018 को हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 01.10.2010 से 30.09.2060 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रू. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्री हनुमान गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 11.05.2022 को हो जाने पर नामान्तरण स्वीकृति श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र स्व. श्री हनुमान गुर्जर जाति गुर्जर निवासी-उदयसिंहपुरा पोस्ट घासीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में अतिरिक्त निदेशक खान जयपुर क्षेत्र जयपुर के आदेशांक अनिखा/जय/नीम/सीसी-11/प.विविध/2022/695-699 दिनांक 19.06.2023 से जारी की गई, जिस पर नामान्तरण पूरक संविदा का निष्पादन खनि अभियन्ता, सीकर द्वारा दिनांक 03.07.2023 से किया गया तथा नोटेरी तस्दीक दिनांक 07.07.2023 को होकर खनन पट्टा श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र स्व. श्री हनुमान गुर्जर जाति गुर्जर निवासी-उदयसिंहपुरा पोस्ट घासीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 3685.28 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रू. 1110585/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त खनन पट्टे में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है, खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएं अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 02.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 06.10.2023 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.07.2028 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 27.08.2020 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 05.11.2024 से जारी की गई है, जो 04.11.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएं की जा रही है।

खनन पट्टा संख्या-758/2009:-

खनन पट्टा संख्या-758/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रेला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-758/2009/5416 दिनांक 16.09.2010 से श्रीमती शशी शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा निवासी-राजभोग हाऊस, स्टेशन रोड़, डेहरी ऑनसोन (डालमिया नगर) जिला-रोहतास (बिहार) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 28.09.2010 तथा पंजीयन दिनांक 01.10.2010 को होकर खनन पट्टा अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। आर.एम.एम.सी.आर.-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 01.10.2010 से 30.09.2060 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रू. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्रीमती शशी शर्मा द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा घासीपुरा सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2022 से किया जाने पर खनन पट्टा हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक सखअ/नीम/अप्र/खप-758/2009/584 दिनांक 22.11.2022 से अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर को पठाये गये, जिस



पर उनके आदेशांक अखअ/जय/नीम/प-1/2022/3556 दिनांक 05.12.2022 से हस्तान्तरण स्वीकृति श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन के पक्ष में जारी की गई। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 22.12.2022 को व पंजीयन दिनांक 03.01.2023 को होकर खनन पट्टा हस्तान्तरण पंजीयन तिथि से शेष अवधि हेतु श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा घासीपुरा सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टे में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है, खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत हैं, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 02.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 04.09.2023 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.08.2028 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 04.07.2022 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक, अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 05.11.2024 से जारी की गई है, जो 04.11.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएँ की जा रही है।

❖ ORIGINAL APPLICATION 57/2025 (खनन पट्टा संख्या-621/2003 व 620/2003):-

खनन पट्टा संख्या-621/2003:-

खनन पट्टा संख्या-621/2003 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम-रैला तहसील-पाटन जिला सीकर (राज.) में श्री राजवीर जाट पुत्र श्री मेहरचन्द जाट निवासी-जमालपुर तहसील व जिला भिवाणी (हरियाणा) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-621/2003/4624 दिनांक 24.12.2004 से अवधि संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए किन्तु प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् स्थिरभाटक का पुनः निर्धारण होगा की शर्त पर स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 19.02.2005 को व पंजीयन दिनांक 22.02.2005 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष के लिए श्री राजवीर जाट पुत्र श्री मेहरचन्द जाट के पक्ष में प्रभाव में आया।

पट्टाधारी श्री राजवीर जाट द्वारा दिनांक 02.02.2011 को खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मदन सिंह जाट निवासी-रघुमार्ग हनुमान नगर जयपुर जिला-जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/अप्र/खप-621/2003/1635 दिनांक 22.03.2011 से स्वीकृत किया गया, जिसकी हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 15.04.2011 को व पंजीयन दिनांक 03.05.2011 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री नरेश कुमार के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः ही 50 वर्ष बढ़ जाने से खनन पट्टा अवधि दिनांक 22.02.2005 से 21.02.2055 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 2999.97 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 904993/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 से खनन पट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि खनन पट्टा संख्या-621/2003 के पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से लगते हुये गैप एरिया में खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन का अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमन किया गया है। अतः खनन पट्टा संख्या-621/2003 के पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमित खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन की प्रचलित रॉयल्टी दर 44/- प्रति टन से खनिज की कीमत (रॉयल्टी राशि का 10 गुना) राशि रु. 15,93,993/- एवं कम्पाउण्ड फीस राशि रु. 20,000/- इस प्रकार कुल राशि रु. 16,13,993/- (अक्षरे-राशि रूपये सोलह लाख तेरह हजार नौ सो तिरानवें मात्र) की मांग कायमी कार्यालय आदेशांक सखअ/नीम/अप्र/खप-621/2003/1468-1473 दिनांक 24.03.2023 से की गई। कायमी मांग राशि पट्टाधारी द्वारा जमा नहीं कराये जाने पर दिनांक 26.01.2025 को खनन पट्टा खण्डित हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। तत्पश्चात् पट्टाधारी द्वारा शास्ती राशि रु. 16,13,993/- की 25 प्रतिशत राशि रु. 4,03,499/- एकुमश्त समाधान योजना के तहत जमा कराये गये, शेष 75 प्रतिशत शास्ती राशि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे का ड्रोन सर्वे करवाकर प्रस्तुत किये जाने



पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत माफी योग्य है, पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टें ज़ोन सर्वे प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। खनन पट्टें में वर्तमान में ई-रवन्ना जनरेशन बन्द है।

खनन पट्टा संख्या-620/2003:-

खनन पट्टा संख्या-620/2003 वास्ते खनिज-चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम-रैला तहसील-पाटन जिला-सीकर (राज.) में श्री राजवीर जाट पुत्र श्री मेहरचन्द जाट निवासी-जमालपुर तहसील व जिला भिवाणी (हरियाणा) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-620/2003/4618 दिनांक 24.12.2004 से अवधि संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए किन्तु प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् स्थिरभाटक का पुनः निर्धारण होगा की शर्त पर स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 19.02.2005 को व पंजीयन दिनांक 22.02.2005 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष के लिए श्री राजवीर जाट पुत्र श्री मेहरचन्द जाट के पक्ष में प्रभाव में आया।

पट्टाधारी श्री राजवीर जाट द्वारा दिनांक 02.02.2011 को खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मदन सिंह जाट निवासी-रघुमार्ग हनुमान नगर जयपुर जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/अप्र/खप-620/2003/1632 दिनांक 22.03.2011 से स्वीकृत किया गया, जिसकी हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 15.04.2011 को व पंजीयन दिनांक 03.05.2011 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री नरेश कुमार के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः ही 50 वर्ष बढ़ जाने से खनन पट्टा अवधि दिनांक 22.02.2005 से 21.02.2055 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टें का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 3609.77 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 1087933/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 से खनन पट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि खनन पट्टा संख्या-620/2003 के पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से लगते हुये गैप एरिया में खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन का अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमन किया गया है। अतः खनन पट्टा संख्या-621/2003 के पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमित खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै.टन की प्रचलित रॉयल्टी दर 44/- प्रति टन से खनिज की कीमत (रॉयल्टी राशि का 10 गुना) राशि रु. 15,93,993/- एवं कम्पाउण्ड फीस राशि रु. 20,000/- इस प्रकार कुल राशि रु. 16,13,993/- (अक्षरे-राशि रूपये सोलह लाख तेरह हजार नौ सो तिरानवें मात्र) की मांग कायमी कार्यालय आदेशांक सखअ/नीम/अप्र/खप-620/2003/1474-1479 दिनांक 24.03.2023 से की गई। कायमी मांग राशि पट्टाधारी द्वारा जमा नहीं कराये जाने पर दिनांक 26.01.2025 को खनन पट्टा खण्डित हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। तत्पश्चात् पट्टाधारी द्वारा शास्ती राशि रु. 16,13,993/- की 25 प्रतिशत राशि रु. 4,03,499/- एकमुश्त समाधान योजना के तहत जमा कराये गये, शेष 75 प्रतिशत शास्ती राशि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टें का ज़ोन सर्वे करवाकर प्रस्तुत किये जाने पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत माफी योग्य है, पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टें ज़ोन सर्वे प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। खनन पट्टें में वर्तमान में ई-रवन्ना जनरेशन बन्द है।

❖ ORIGINAL APPLICATION 59/2025 (खनन पट्टा संख्या-761/2009 व 756/2009):-

खनन पट्टा संख्या-761/2009:-

खनन पट्टा संख्या-761/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रेला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-761/2009/8155 दिनांक 10.11.2010 एवं सम-संख्यक आदेश 1943 दिनांक 06.04.2011 से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा निवासी-53/183, सरयू मार्ग मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 06.04.2011 तथा पंजीयन दिनांक 07.04.2011 को होकर



खनन पट्टा अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। आर.एम.एम.सी.आर.-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 01.12.2022 को होकर खनन पट्टा अवधि दिनांक 07.04.2011 से 06.04.2061 तक प्रभाव में आ गया है। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2022 से किया जाने पर खनन पट्टा हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक सखअ/नीम/अप्र/खप-761/2009/581 दिनांक 22.11.2022 से अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर को पठाये गये, जिस पर उनके आदेशांक अखअ/जय/नीम/प-1/2022/3561-3565 दिनांक 05.12.2022 से हस्तान्तरण स्वीकृति श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह के पक्ष में जारी की गई। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 22.12.2022 को व पंजीयन दिनांक 03.01.2023 को होकर खनन पट्टा हस्तान्तरण पंजीयन तिथि से शेष अवधि हेतु श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टे में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है, खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 02.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 16.08.2023 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.10.2028 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 04.07.2022 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 05.11.2024 से जारी की गई है, जो 04.11.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएँ की जा रही है।

खनन पट्टा संख्या-756/2009:-

खनन पट्टा संख्या-756/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देवकीनन्दन पुजारी निवासी-ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला-चुरू (राज.) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-756/2009/8176 दिनांक 10.11.2010 एवं सम-संशोधन आदेश 1940 दिनांक 06.04.2011 से अवधि संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए किन्तु प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् स्थिरभाटक का पुनः निर्धारण होगा कि शर्त पर स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 06.04.2011 को व पंजीयन दिनांक 07.04.2011 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष के लिए श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देवकीनन्दन पुजारी के पक्ष में प्रभाव में आया। आर.एम.एम.सी.आर.-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 01.12.2022 को होकर खनन पट्टा अवधि दिनांक 07.04.2011 से 06.04.2061 तक प्रभाव में आ गया है। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्रीमती निर्मला देवी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु खनन पट्टा हस्तान्तरण आवेदन-पत्र दिनांक 07.12.2022 को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यालय पत्रांक सखअ/नीम/अप्र/खप-756/2009/1224 दिनांक 20.01.2023 से अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर को पठाये गये, जिस पर उनके आदेशांक अखअ/जय/नीम/प-1/2023/3956-3960 दिनांक 27.01.2023 से हस्तान्तरण स्वीकृति श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में जारी की गई। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 01.02.2023 को व पंजीयन दिनांक 07.02.2023 को होकर खनन पट्टा हस्तान्तरण पंजीयन तिथि से शेष अवधि हेतु श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 2999.97 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 904993/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से लगते गैप एरिया में अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 16.11.2022 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 मै. टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 1613993/- पट्टाधारी द्वारा जमा कराई जा चुकी है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 25.01.2024 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 6272.51 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 2779905/- की 25 प्रतिशत राशि रु. 694978/- एकमुश्त समाधान योजना के तहत जमा कराये गये, शेष 75 प्रतिशत शास्ती राशि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे का ड्रोन सर्वे करवाकर प्रस्तुत किये जाने पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत माफी योग्य है, पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे ड्रोन सर्वे प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 02.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 05.10.2020 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.08.2025 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 04.07.2022 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 05.11.2024 से जारी की गई है, जो 04.11.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएँ की जा रही है।

❖ ORIGINAL APPLICATION 62/2025 (खनन पट्टा संख्या-705/2010 व 769/2009):-

खनन पट्टा संख्या-705/2010:-

खनन पट्टा संख्या-705/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक 2330 दिनांक 20.04.2011 एवं सम-संख्यक आदेश क्रमांक 935 दिनांक 02.03.2012 से श्री सुनील कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी-रावलवास खुर्द तहसील व जिला हिसार (हरियाणा) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 06.03.2012 को हुआ तथा संविदा पंजीयन दिनांक 09.03.2012 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के अनुसार खनन पट्टा अवधि. स्वतः 50 बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 03.08.2018 से निष्पादित हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 09.03.2012 से 08.03.2062 तक प्रभाव में आया।

पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-प्लेट नं. 401, टॉवर-16 विपुल ग्रींस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगांवा (हरियाणा) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर हस्तान्तरण स्वीकृति अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक 1096 दिनांक 28.05.2018 से जारी की गई, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 06.08.2018 को हुआ तथा हस्तान्तरण संविदा पंजीयन दिनांक 25.10.2018 को होकर श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-प्लेट नं. 401 टॉवर-16, विपुल ग्रींस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगांवा (हरियाणा) के पक्ष में शेष अवधि के लिए प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 7273.94 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 2187230/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 21.02.2025 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 07.03.2025 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 28.02.2030 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 01.04.2023 से 05 वर्ष हेतु प्राप्त है। परन्तु खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कार्यालय तकनीकी कर्मचार को पत्र दिनांक 28.06.2025 से



निर्देशित किया गया है कि खनन पट्टों में माईन्स मैनेजर की नियुक्ति के अभाव में खनन संक्रियाएँ न हो सकें की सुनिश्चितता की जावें।

खनन पट्टा संख्या-769/2009:-

खनन पट्टा संख्या-769/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक 1891 दिनांक 31.03.2011 से श्री अरुण शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी-53/183, सरयू मार्ग मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 19.05.2011 को हुआ तथा संविदा पंजीयन दिनांक 20.05.2011 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के अनुसार खनन पट्टा अवधि स्वतः 50 बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 10.11.2017 से निष्पादित हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 20.05.2011 से 19.05.2061 तक प्रभाव में आया।

पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-फ्लेट नं. 401, टॉवर-16 विपुल ग्रीस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगावा (हरियाणा) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर हस्तान्तरण स्वीकृति अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक 3964 दिनांक 10.10.2017 से जारी की गई, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 17.11.2017 को हुआ तथा हस्तान्तरण संविदा पंजीयन दिनांक 17.08.2017 को होकर श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-फ्लैट नं. 401 टॉवर-16, विपुल ग्रीस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगावा (हरियाणा) के पक्ष में शेष अवधि के लिए प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टों का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- निर्धारित है।

खनन पट्टों में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 21.02.2025 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 29.06.2021 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.05.2026 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के बिना संयंत्रों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 07.04.2023 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को पत्र दिनांक 28.06.2025 से निर्देशित किया गया है कि खनन पट्टों में माईन्स मैनेजर की नियुक्ति के अभाव में खनन संक्रियाएँ न हो सकें की सुनिश्चितता की जावें।

ORIGINAL APPLICATION-63/2025 (खनन पट्टा संख्या-388/2010):-

खनन पट्टा संख्या-388/2010:-

खनन पट्टा संख्या-388/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्रीमती सविता पत्नी श्री विनोद कुमार कुम्हार निवासी-बी-74, शक्ति अपार्टमेंट सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-388/2010/8169 दिनांक 10.11.2010 एवं सम-संख्यक आदेश क्रमांक 3799 दिनांक 07.07.2011 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 07.07.2011 को हुआ तथा संविदा पंजीयन दिनांक 02.08.2011 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री रूप सिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी-ग्राम पोस्ट डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा का हस्तान्तरण अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेशांक अखअ/जय/नीम/प.1/2018/1390 दिनांक 11.07.2018 से हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 31.08.2018 को व पंजीयन दिनांक 14.09.2018 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री रूप सिंह पुत्र श्री रामसिंह के पक्ष में प्रभाव में आया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा अवधि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 08.06.2018 को

हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 02.08.2011 से 01.08.2061 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 2999.97 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 904993/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

खनन पट्टे से लगते गैप क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने के संबंध में भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा ऑडिट आक्षेप एएमजी-III/समीक्षा खान/2020-21/ज्ञापन सं.-11 गठित किया गया। ऑडिट आक्षेप पर कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 से खनन पट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि खनन पट्टा संख्या-388/2010 के पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से लगते हुये गैप एरिया में खनिज चेजापत्थर मात्रा 3622.71 अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमन किया गया है। अवैध खनित खनिज चेजापत्थर की तत्समय प्रचलित रॉयल्टी दर 44/- प्रति टन से खनिज की कीमत (रॉयल्टी राशि का 10 गुना) राशि रु. 15,93,993/- एवं कम्पाउण्ड फीस राशि रु. 20,000/- इस प्रकार कुल राशि रु. 16,13,993/- (अक्षरे-राशि रूपये सोलह लाख तेरह हजार नौ सो तिरानवें मात्र) की मांग कायम दिनांक 14.07.2023 से की गई। तत्पश्चात् भी पट्टाधारी द्वारा कायमी मांग राशि जमा नहीं कराये जाने पर 30 दिवसीय वैधानिक चेतना-पत्र दिनांक 19.03.2024 से जारी किया गया है, जो अवितरित रहने से उक्त नोटिस को खनन पट्टा क्षेत्र पर चस्पा किये जाने हेतु कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को दिनांक 28.06.2025 से लिखा गया है, पत्र वितरण के 30 दिवस पश्चात् खनन पट्टा खण्डित की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

खनन पट्टे का मौका निरीक्षण दिनांक 30.01.2024 को किया जाने पर खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनिज चेजापत्थर मात्रा 10278.95 टन का अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमन किया जाना पाया गया, जिसकी शास्ती की मांग राशि रु. 4542738/- दिनांक 23.04.2024 से कायम की जा चुकी है। बकाया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। खनन पट्टे में अवैध खनन का प्रकरण लंबित होने से ई-रवन्ना जनरेशन बंद है।

ORIGINAL APPLICATION-64/2025 (खनन पट्टा संख्या-764/2009):-

खनन पट्टा संख्या-764/2009 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्री देवकीनन्दन पुजारी पुत्र श्री गोपाल पुजारी निवासी-सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राज.) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 28.09.2010 को हुआ तथा संविदा पंजीयन दिनांक 06.10.2060 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के अनुसार खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिस पर खनन पट्टा के अवधि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 10.11.2017 को हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 06.10.2010 से 05.10.2010 तक प्रभाव में आया।

पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री श्रीधर अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी-नारेहड़ा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर हस्तान्तरण स्वीकृत अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर के आदेश दिनांक 10.10.2017 से जारी की गई, जिस पर हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 17.11.2017 को हुआ तथा हस्तान्तरण संविदा का पंजीयन दिनांक 17.11.2017 को होकर खनन पट्टा शेष अवधि हेतु श्री श्रीधर अग्रवाल के पक्ष में प्रभाव में आ गया। वर्तमान में खनन पट्टे का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40000/- निर्धारित है।

खनन पट्टे में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है। खनन पट्टे में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत हैं, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 22.02.2025 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 30.09.2024 से जारी सी.टी.ओं. दिनांक 31.08.2029 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी मशीनों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 07.04.2023 से 05 वर्ष हेतु व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति



प्राप्त नहीं होने से कार्यालय तकनीकी कर्मचारी को पत्र दिनांक 28.06.2025 से निर्देशित किया गया है कि खनन पट्टों में माईन्स मैनेजर की नियुक्ति के अभाव में खनन संक्रियाएँ न हो सके की सुनिश्चितता की जावें।

ORIGINAL APPLICATION-65/2025 (खनन पट्टा संख्या-58/2010):-

खनन पट्टा संख्या-58/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में कार्यालय खनि अभियन्ता सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-58/2010/1884 दिनांक 31.03.2011 से श्रीमती कविता जोशी पत्नी श्री दीपक जोशी निवासी-गोवर्धन निवास ट्रांसपोर्ट नगर के सामने मायापुरी मार्केट जयपुर रोड़ सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 20.05.2011 तथा पंजीयन दिनांक 23.05.2011 को होकर खनन पट्टा अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 09.01.2023 को होकर खनन पट्टा अवधि दिनांक 23.05.2011 से 22.05.2061 तक प्रभाव में आ गया है। वर्तमान में खनन पट्टे का स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- वार्षिक निर्धारित है।

पट्टाधारी श्रीमती कविता जोशी द्वारा खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री फुलाराम गुर्जर निवासी-ग्राम रामचन्द्राला ढाणी डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में करवाने हेतु हस्तान्तरण आवेदन-पत्र दिनांक 30.11.2022 को ऑनलाईन कर कार्यालय में दिनांक 30.11.2022 से प्रस्तुत किया जाने पर खनन पट्टा हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यालय पत्रांक सखअ/नीम/अप्र/खप-58/2010/950 दिनांक 21.12.2022 से अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर को पठाये गये, जिस पर उनके आदेशांक अखअ/जय/नीम/प-1 /2022/3752 दिनांक 26.12.2022 से हस्तान्तरण स्वीकृति श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर के पक्ष में जारी की गई। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 20.03.2023 को व पंजीयन दिनांक 22.03.2023 को होकर खनन पट्टा हस्तान्तरण पंजीयन तिथि से शेष अवधि हेतु श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री फुलाराम गुर्जर निवासी-ग्राम रामचन्द्राला ढाणी डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में प्रभाव में आया।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 6811.93 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 2048580/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त खनन पट्टों में अवैध खनन का प्रकरण नहीं बना है। खनन पट्टों में वर्तमान में खनन संक्रियाएँ अनुमत है, पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य हेतु आवश्यक ई.सी. DEIAA द्वारा दिनांक 10.09.2016 से प्राप्त की गई तथा वर्तमान में SEIAA द्वारा भी दिनांक 03.09.2024 से ई.सी. जारी की जा चुकी है, दिनांक 25.10.2021 से जारी सी.टी.ऑ. दिनांक 31.07.2026 तक प्रभावी है व खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा खनन कार्य हेतु डीप.हॉल ब्लास्टिंग के साथ भारी मशीनों के प्रयोग की अनुमति दिनांक 25.10.2022 से 05 वर्ष हेतु व व खान प्रबन्धक अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति दिनांक 17.12.2024 से जारी की गई है, जो 16.12.2025 तक अनुमत है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा खननकार्य हेतु वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार खनन संक्रियाएँ की जा रही है।

ORIGINAL APPLICATION-66/2025 (खनन पट्टा संख्या-57/2010):-

खनन पट्टा संख्या-57/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर (राज.) में श्रीमती कविता जोशी पत्नी श्री दीपक जोशी निवासी-गोवर्धन निवास ट्रांसपोर्ट नगर के सामने मायापुरी मार्केट जयपुर रोड़ सीकर जिला सीकर (राज.) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेश क्रमांक खअ/सीकर/रि/अप्र/खप-57/2010/1856 दिनांक 31.03.2011 से अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए किन्तु प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् स्थिरभाटक में स्वतः ही 40 प्रतिशत की वृद्धि होती रहेगी की शर्त पर वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 21,000/- पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-1986 तथा रॉयल्टी शिड्यूल के अनुसार रॉयल्टी देय होगी व उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार पर स्वीकृत हुआ, जिसकी संविदा का निष्पादन दिनांक 20.05.2011 को व पंजीयन दिनांक 23.05.2011 को होकर खनन पट्टा 20 वर्ष की अवधि हेतु श्रीमती कविता जोशी के पक्ष में प्रभाव में आया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत

नियमावली-2017 के नियम-9(2) के तहत खनन पट्टा की अवधि स्वतः 50 वर्ष बढ़ गई, जिसकी अवधि वृद्धि पूरक संविदा का निष्पादन 17.03.2025 को हुआ, जो नोटेरी तस्दीक दिनांक 18.03.2025 को हुआ अर्थात् खनन पट्टा अवधि दिनांक 23.05.2011 से 22.05.2061 तक प्रभाव में आया। वर्तमान में खनन पट्टों का वार्षिक स्थिरभाटक राशि रु. 40,000/- निर्धारित है।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 6156.18 मै.टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 1851856/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है। खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र की सीमा रेखा डी-सी के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 29.01.2024 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 37906.40 मै.टन का अवैध खनन कर अनाधिकृत निर्गमन किये जाने का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी शास्ती की कायमी मांग राशि रु. 1,58,64,876/- की 25 प्रतिशत राशि रु. 39,66,219/- जरिये ई-चालान जी.आर.एन.नं. 100162487 दिनांक 30.01.2025 से एकमुश्त समाधान योजना के तहत जमा कराई गई तथा एकमुश्त समाधान योजना के तहत खनन पट्टों के वॉल्यूमैट्रिक सर्वे की ड्रॉन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, सर्वे रिपोर्ट अनुसार खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व अन्दर अवैध खनन पाया जाने पर राशि रु. 1888903 की मांग कायमी दिनांक 18.06.2025 से की जा चुकी है। खनन पट्टों में वर्तमान में ई-रवन्ना जनरेशन बन्द है।

ORIGINAL APPLICATION-73/2025 (खनन पट्टा संख्या-707/2010):-

खनन पट्टा संख्या-707/2010 वास्ते खनिज चेजापत्थर क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर निकटग्राम रैला तहसील पाटन जिला सीकर में श्री राजीव गोदार पुत्र श्री आत्माराम गोदारा निवासी-मकान नं. 3, जगजीवनपुरा फतेहाबाद (हरियाणा) के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के आदेशांक 2309 दिनांक 20.04.2011 एवं सम-संख्यक आदेश 941 दिनांक 02.03.2012 से अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिस पर संविदा का निष्पादन दिनांक 06.03.2012 को व पंजीयन दिनांक 09.03.2012 को होकर खनन पट्टा अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष हेतु प्रभाव में आया।

खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया जाने पर दिनांक 18.09.2014 को खनिज चेजापत्थर मात्रा 7273.9464 टन का मौका पंचनामा बनाया गया, जिसकी देय शास्ती राशि रु. 2187184/- जमा नहीं कराये जाने पर दिनांक 31.07.2017 से खनन पट्टा खण्डित किया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र का मौका कब्जा विभागीय पक्ष में दिनांक 16.08.2017 को लिया गया। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा खण्डित के उपरांत देय शास्ती राशि रु. 2187184/- सम्पूर्ण जमा हो चुकी है। खनन पट्टा वर्तमान में खण्डित है।

खनन क्षेत्र रैला में अवैध खनन किये जाने के संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर पर उच्चाधिकारियों द्वारा रैला खनन क्षेत्र के खनन पट्टों का वॉल्यूमैट्रिक ड्रोन सर्वे करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि खनन पट्टों के स्वीकृत क्षेत्र व स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किये गये खनन की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके, जिस हेतु वर्तमान में प्रभावशील खनन पट्टों के समस्त पट्टाधारियों द्वारा खनन पट्टों का वॉल्यूमैट्रिक ड्रोन सर्वे करवाया जा चुका है, प्राप्त वॉल्यूमैट्रिक ड्रोन सर्वे रिपोर्ट का कार्यालय में संधारित खनन पट्टों के अधिशुल्क निर्धारण अर्थात् सर्वे दिनांक तक खनन पट्टों से निर्गमित खनिज की मात्रा का मिलान करने के पश्चात् अन्तर पाये जाने पर नियमानुसार शास्ती आरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय
(प्रमोद कुमार बलवदा)
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना

दूरभाष व फ़ैक्स: 01574-231810

E-mail:- ame.neemkathana@rajasthan.gov.in

क्रमांक: सखअ/नीम/अप्र/रैला/एन.जी.टी./५७।

दिनांक 02.07.2025

प्रेषित:-

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज.)।

विषय:- कार्यालय क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्र रैला में धृत खनन पट्टों के संबंध में श्री देवीदास खत्री के द्वारा एन.जी.टी. भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओ.ए. संख्या-55/2025, 56/2025, 57/2025, 59/2025, 62/2025, 63/2025, 64/2025, 65/2025, 66/2025 व 73/2025 के संबंध में।

प्रसंग:- आपसे दूरभाष पर दिनांक 01.07.2025 को हुई वार्ता अनुसार वांछित सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	एम.एल.	नाम पट्टाधारी	खनिज	अंतिम रवन्ना जारी होने के दिनांक	दिगत 05 वर्षों के खनिज खनन के आंकड़ें				
					2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	384/10	मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स रजि. पता-201, ईकाई हाईट मर्यादा नगर बुहाना उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)	चेजापत्थर	20.01.2023	104029.36	42747.06	92653.61	27885.59	0
2	387/10	मैसर्स स्ट्रलिंग स्टोन्स रजि. पता-201, ईकाई हाईट मर्यादा नगर बुहाना उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)	चेजापत्थर	30.04.2023	28033.47	28012.86	27348.06	27885.59	0
3	773/09	श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा घासीपुरा सीकर जिला सीकर (राज.)	चेजापत्थर	13.06.2025	99121.68	99016.66	98954.39	99010.40	98811.34

4	768 / 09	श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा सीकर जिला सीकर (राज.)	घासीपुरा	चेजापत्थर	13.06.2025	989999.92	98991.13	0	95960.85	98830.13
5	758 / 09	श्री घुडाराम गुर्जर पुत्र श्री चिमन निवासी-उदयसिंहपुरा सीकर जिला सीकर (राज.)	घासीपुरा	चेजापत्थर	13.06.2025	99026.63	98998.28	99003.67	91089.93	98816.68
6	620 / 03	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मदन सिंह जाट निवासी-रघुमार्ग हनुमान नगर जयपुर जिला-जयपुर (राज.)		चेजापत्थर	28.12.2020	112347.37	0	0	0	0
7	621 / 03	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मदन सिंह जाट निवासी-रघुमार्ग हनुमान नगर जयपुर जिला-जयपुर (राज.)		चेजापत्थर	28.07.2021	96003.18	329.30	0	0	0
8	761 / 09	श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)		चेजापत्थर	13.06.2025	98932.50	99012.28	99033.95	99354.42	98721.18
9	756 / 09	श्री विक्रम पुत्र मोहर सिंह निवासी-गांव पवाला राजपूत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)		चेजापत्थर	12.06.2025	42847.29	96992.21	97023.11	96896.69	96813.65
10	705 / 10	श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-फ्लेट नं. 401, टॉवर-16 विपुल ग्रीस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगावा (हरियाणा)		चेजापत्थर	16.04.2025	120882.03	65413.36	0	99184.26	80400.99
11	769 / 09	श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री रामप्रकाश गर्ग निवासी-फ्लेट नं. 401, टॉवर-16 विपुल ग्रीस सोहना मार्ग सैक्टर 46, साऊथ सिटी-2 गुडगावा (हरियाणा)		चेजापत्थर	06.12.2024	0	0	0	98096.86	98034.81
12	388 / 10	श्री रूप सिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी-ग्राम पोस्ट डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)		चेजापत्थर	10.04.2021	96214.71	25895.45	0	0	0

(Handwritten signature)

13	764 / 09	श्री श्रीधर अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी-नारेहड़ा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)	चेजापस्थर	13.06.2025	103218.28	84544.26	0	0	100958.90
14	58 / 10	श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री फुलाराम गुर्जर निवासी-ग्राम रामचन्द्राला ढाणी जाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर	चेजापस्थर	17.06.2025	0	95970.99	97609.96	96033.06	73118.36
15	57 / 10	श्रीमती कविता जोशी पत्नी श्री दीपक जोशी निवासी-गोवर्धन निवास ट्रांसपोर्ट नगर के सामने मायापुरी मार्केट जयपुर रोड़ सीकर जिला सीकर (राज.)	चेजापस्थर	17.06.2025	93282.16	97974.32	97437.47	99235.17	0
16	707 / 10	श्री राजीव गोदार पुत्र श्री आत्माराम गोदारा निवासी-मकान नं. 3, जगजीवनपुरा फतेहाबाद (हरियाणा)	चेजापस्थर						
31.07.2017 से खण्डित									


 भवदीय
 (प्रमोद कुमार बलवदा)
 सहायक खनि अभियन्ता
 नीमकाथाना



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

F12(5-Adm)/RSPCB/ 1672-1681

Date: 24.08.2023

Order

As per prevailing enforcement norms, industries with smaller investments and lesser pollution loads are at par with industries having greater investments and higher pollution load. The matter has been re-examined and enforcement norms have been revised taking in consideration, the scale of project, pollution load of the sector, possibility of using technology and available manpower.

In supersession to State Board Office Order No. F12(PSC-21)/RSPCB/2005-2050 dated 28.09.2021, the following schedule of inspection for environmental surveillance and monitoring shall accordingly be followed in respect of the industries/ processes/ facilities/ mines etc:

1. Textile Sector:

a) For Own ETP Units (ZLD Units):

- Units having effluent generation upto 100 KLD: Annually
- Units having effluent generation more than 100 KLD to 500 KLD: Half-yearly
- Units having effluent generation more than 500 KLD: Quarterly

b) For CETP connected units:

- Units having effluent generation upto 100 KLD: Annually
- Units having effluent generation more than 100 KLD: Half-yearly

2. Health Care Facilities (HCFs):

- Upto 10 bedded HCFs: Need based
- 11-50 bedded HCFs: Once in two years
- 51-200 beds HCFs: Annually
- More than 201 bedded HCFs: Half-yearly

3. Cement Plants:

- Integrated cement plants - Quarterly
- Clinker grinding units (Large and Medium) - Quarterly
- Mini Cement plants - Annually
- Clinker grinding units (Small)- Annually

Signature valid

Digitally signed by N. V. Jai
Designation: Member Secretary
Date: 2023.08.24 19:52:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4592580





Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

4. **Power Plants:**

- Power plants (Upto 100 Mega Watts) - Half-yearly
- Power plants (More than 100 Mega Watts) - Quarterly
- Biomass based power plants – Annually

5. **Mines:**

- Mines having lease area upto 5 hectares: Need Based
- Mines having lease area more than 5 hectares and upto 100 hectares: Once in two years
- Mines having lease area more than 100 hectares: Annually

6. **CBWTF/CHWSRDF/CMSWTF/CETP/STP: Monthly**

7. The frequency of inspection and monitoring for environmental surveillance of industries/ sectors except for those specified above shall be as under:

S. No.	Industry Category / Facility	Revised frequency
1.	Highly Polluting 17 Category Industry	Quarterly
2.	Red Category (Other than 17 Category) (Large scale)	Half-Yearly
3.	Red Category (Other than 17 Category) (Micro, Small and Medium Enterprises)	Annually
4.	Orange Category Industry (Large scale)	Annually
5.	Orange Category (Micro, Small and Medium Enterprises)	Once in two years
6.	Green Category Industry	Need based

8. Inspection and sampling/ monitoring shall be carried out by a joint team of Technical and Scientific Officers of the State Board and only in exceptional circumstances, such inspections may be carried out by either Technical or Scientific Officers after taking due prior approval of the Head Office.

This bears approval of the competent authority.

(Vijai N.)
Member Secretary

Signature valid

Digitally signed by N. Vijai
Designation: Member Secretary
Date: 2023.08.24 10:52:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4592580





Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

F12(5-Adm)/RSPCB/ 1672-1681

Date: 24.08.2023

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Chairperson, RSPCB, Jaipur
2. Sr. PA to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
3. Chief Environmental Engineer, RSPCB, Jaipur
4. CSO / CAO / HOO, RSPCB, Jaipur
5. Group In-Charge, CD & PDF / E-Waste/ Hazardous Waste/ OGM / HBC/ CPP / Plastic/ ITS / Pre Screening / Textile / Liquid Waste/ Planning / Legal / VTR / Mines & SCMG-DS/ MUID / Project & IEC / RTI/ BMW/ MSW RSPCB, Jaipur.
6. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Alwar/ Balotra/ Banswara/ Bharatpur/ Bhilwara/Bhiwadi/ Bikaner/ Bundi/ Chittorgarh/ Hanumangarh/Jaipur (North)/ Jaipur (South)/ Jaisalmer/ Jhalawar / Jhunjhunu/ Jodhpur/ Kishangarh/ Kota/ Nagaur/ Pali/ Rajsamand/ SawaiMadhopur/ Sikar/ Sirohi/Udaipur.
7. Group In-charge (ITS), RSPCB, Jaipur – to upload on the State Board's website.
8. Master File

Member Secretary

Signature valid

Digitally signed by N. V. Jai
Designation: Member Secretary
Date: 2023.08.24 19:52:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4592580



श्री. पत्र

19
09/06/25
JBS

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रभारी भू जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू जल विभाग, सीकर ।

दिनांक:- 03/07/2025

क्रमांक:- 296

प्रेषित:-

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सीकर ।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खन्नी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के संबंध में ।

सन्दर्भ:- आपके के पत्र क्रमांक 651 दिनांक 19.06.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 55/2025 (CZ), 56/2025 (CZ), 57/2025 (CZ), 59/2025 (CZ), 62/2025 (CZ), 63/2025 (CZ), 64/2025 (CZ), 65/2025 (CZ), 66/2025 (CZ) एवं 73/2025 (CZ) देवीदास खन्नी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड आदर्स के सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर के पत्र की अनुपालना में श्रीमान अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर के साथ समन्वय कर गठित कमेटी का संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 25.06.2025 समय सुबह 9:00 बजे तहसीलदार कार्यालय पाटन जिला सीकर में आयोजित मीटिंग के क्रम में इस विभाग से संबंधित सूचना श्रीमान को अग्रिम एवं कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है ।

संलग्न:- Factual Report

Sharda

प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, सीकर ।

क्रमांक:-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर ।
2. श्रीमान वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, जयपुर ।

दिनांक:-



प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, सीकर ।

4. Trends of Ground Water Quality of Patanwati Area

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2021			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	756	0.24	0.62	6
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	928	0.52	1.59	6
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	1740	0.36	1.26	21.20
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	982	0.61	1.74	8
5	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	982	0.61	1.74	8
6	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	437	.48	.33	9.20
7	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	455	0.26	3.80	0.03
8	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	921	0.84	0.22	176
9	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	928	0.52	1.59	6
10	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	801	0.80	0.19	248
11	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	801	0.80	0.19	248
12	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	801	0.80	0.19	248
13	Meena ki Nangal	GWD	Quartzite	PZ	120.4	911	0.89	0.22	174
14	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	925	0.90	0.15	187
15	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	22.95	756	0.24	0.62	6

P. S. Patanwati
 कक्षालय प्रभारी भू गल वैज्ञानिक
 न जल विभाग सीकर

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2022			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	857	0.40	11	340
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	966	0.36	95	227
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	2932	1.02	18	1461
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	984	0.66	1.75	6
5	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	984	0.66	1.75	6
6	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	997	0.60	19	340
7	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	479	0.70	7	128
8	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	926	0.82	0.26	179
9	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	966	0.36	95	227
10	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	605	0.70	12	128
11	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	605	0.70	12	128
12	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	605	0.70	12	128
13	Meena ki Nangal	GWD	Quartzite	PZ	120.4	916	0.87	0.23	179
14	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	929	0.96	0.13	169
15	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	857	857	0.40	11	340

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2023			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	612	0.42	38	156
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	1107	0.77	86	269
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	1278	0.59	19	432
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	966	0.69	1.81	4
5	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	966	0.69	1.81	4
6	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	2187	0.65	198	702
7	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	1008	0.74	43	440
8	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	936	0.79	0.27	174
9	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	1107	0.77	86	269
10	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	573	0.55	38	92
11	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	573	0.55	38	92
12	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	573	0.55	38	92
13	Meena ki Nangal	GWD	Quartzite	PZ	120.4	919	0.89	0.21	174
14	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	940	0.98	0.16	182
15	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	22.95	612	0.42	38	156


 कक्षालय प्रमोरी मूंगल वैज्ञानिक
 मू जल विभाग सीकर

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2024			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	820	0.52	58	166
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	721	0.59	10	518
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	689	1.22	41	213
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	1216	0.75	2	475
5	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	1216	0.75	2	475
6	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	3180	0.30	62	993
7	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	1196	1.20	86	376
8	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	764	0.20	68	794
9	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	960	0.51	80	260
10	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	673	0.72	58	120
11	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	673	0.72	58	120
12	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	673	0.72	58	120
13	Meena ki Nangai	GWD	Quartzite	PZ	120.4	1405	6.39	18	638
14	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	1405	6.39	18	638
15	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	22.95	820	0.52	58	166


 ग्रामालय प्रभारी भू गल वैज्ञानिक
 जल विभाग सीकर

PATAN BLOCK (According to Assessment Report 2024)

This block covers an area of 478.89 sq. km. of the district in Patan block the water bearing formation are Quartzite and schist.

Potential- Zone ZQ01:- In Patan block the water bearing Quarzite covering a potential zone area of 289.56 Sq. km. The Depth to water in the Quartzite zone ranges from 11.5m in Baleswar to 89.1m m in Bega ki Nagal as observed during pre-monsoon 2023. Average yield of wells in the zone is 32.000 liters per day with pump and 20,000 liters per day without pump. Pump the average discharge of tubewells is 8.00 m³/hr. In general the ground water quality is Potable.

The Patan block as a whole has been categorized as “ **Over Exploited**” stage of ground water Extraction as 177.21 % and therefore, has not been recommended for future ground water extraction.

Finawady
काशीलय प्रभारी भू गल वैज्ञानिक
भ जल विभाग सीकर

Annexure-1

1. Trend of Ground Water level of Patan Area

(District:- Neemkathana, Block:- Patan, Zone:- Quartzite) Consider Pre monsoon Data

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Average Water Level (M.)	11.84	12.54	13.43	14.39	18.78	21.17	19.25	21.01	19.85	19.29	20.90	22.15	21.78	18.41

2. Ground Water Extraction Stage of Patan Area

(District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite)


Year	1998	2001	2009	2011	2013	2017	2020	2022	2023	2024
Stage of Ground Water Extraction in %	108.10	97.00	114.80	117.14	158.36	159.75	142.20	163.62	170.19	177.21

Note:- Block Stage of Ground water Extraction <70% is Safe, >70% and <90% is Semi Critical, >90% and <100% is Critical, >100% is Over Exploited

3. Pre monsoon 2023 and Post monsoon 2023 Water level of Rela Area

(District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite)

Sr No.	Name of village	Zone	Type of Well	Total depth(M.)	2024		
					Pre.	Post	Flu
1	Kachhreda	Quartzite	DW	23	21.10	7.65	13.45
2	Rajpura	Quartzite	PZ	98.3	Dry	Dry	---
3	Dhandhela	Quartzite	PZ	65	18.1	4.1	14.0
4	Mohanpura	Quartzite	PZ	93	35.55	21.40	14.15
5	Ballupura	Quartzite	PZ	93.2	35.55	21.40	14.15
6	Hasampur	Quartzite	PZ	107	26.10	22.15	3.95
7	Chhaja ki nangal	Quartzite	PZ	20.5	66.1	70.1	-4
8	Mothuka	Quartzite	PZ	72.6	Dry	Dry	---
9	Rela	Quartzite	DW	21.5	21.30	19.80	1.50
10	Fatehpura	Quartzite	DW	29	Dry	Dry	---
11	Haripura	Quartzite	PZ	24.8	22.5	17.1	5.4
12	Ramsinghpura	Quartzite	PZ	101.6	22.5	17.1	5.4
13	Meena ki Nangal	Quartzite	PZ	120.4	Dry	Dry	---
14	Dalpatpura	Quartzite	PZ	120	Dry	Dry	---
15	Raipur Patan	Quartzite	DW	22.95	21.10	7.65	13.45


 कार्यालय प्रभारी भू गल वैज्ञानिक
 भू जल विभाग सीकर